



2026:AHC:56165

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या-

1424 वर्ष 2026

देवेन्द्र @ बबलू

...आवेदक

बनाम

राज्य बनाम उत्तर प्रदेश

...प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: अखिलेश कुमार मिश्र, ऋषभ तिवारी

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. श्री ऋषभ तिवारी, विद्वान अधिवक्ता आवेदक के लिए तथा श्री बी.पी. मौर्य, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह प्रार्थना-पत्र परिवाद वाद संख्या 400062/2024, धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता, थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे कहा गया कि आवेदक को धारा 420 एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में परिवाद वाद में विचारण का सामना करने हेतु तलब किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 406 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध विधि अनुसार साथ-साथ स्थापित नहीं हो सकते, जैसा कि **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2024 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 2248** में प्रतिपादित किया गया है और आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। यह भी कहा गया कि परिवाद के अनुसार आवेदक पर ₹1,60,000/- के आपराधिक न्यासभंग का आरोप है, किन्तु घटना की कोई तिथि उल्लेखित नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक ने यह आश्वासन दिया कि वह विचारण में सहयोग करेगा तथा अन्वेषण एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया कि यदि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा तथा सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया गया।
6. आवेदक को धारा 420 एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में परिवाद वाद में विचारण हेतु तलब किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 406 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध विधि अनुसार साथ-साथ स्थापित नहीं हो सकते, जैसा कि दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2024 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 2248” में प्रतिपादित किया गया है और आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। यह भी कहा गया कि परिवाद के अनुसार आवेदक पर ₹1,60,000/- के आपराधिक न्यासभंग का आरोप है, किन्तु घटना की कोई तिथि उल्लेखित नहीं है। आवेदक विचारण में सहयोग हेतु तत्पर है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 SCC 694” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त का पूर्ववृत्त, न्याय से पलायन की संभावना तथा उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, साथ ही अभियुक्त की सटीक भूमिका पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत से संबंधित स्थापित विधिक सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका तथा समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

10. यदि आवेदक देवेन्द्र @ बबलू की उक्त वाद में गिरफ्तारी होती है, तो उसे ₹50,000/- के निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा—

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि न्यायालय द्वारा छूट न दी जाए;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित है, प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष सत्य कथन करने से विमुख हो;

(iii) आवेदक विचारण में सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक : 19 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।